

**FEDERAL BANK**

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

## क्रेडिट कार्ड के सामान्य नियम और शर्तें

### परिचय

कार्डधारक एग्रीमेन्ट के नियम और शर्तें फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड पर लागू होती हैं। फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन के अनुमोदन के बाद, आप (ग्राहक) निम्नलिखित से सहमत हैं:

(ए) फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग यहां दिए गए और सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों (एमआईटीसी) में निहित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा और आवेदन पत्र में इन्हें संदर्भित किया जाएगा और समय-समय पर बैंक द्वारा संशोधित किया जाएगा।

(बी) यदि नियम और शर्तें आपको स्वीकार्य नहीं हैं, तो आप हमें लिखित रूप में सूचित करेंगे और फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड को नष्ट कर देंगे (काटकर) और क्रेडिट कार्ड प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर हमें कार्ड वापस कर देंगे।

### परिभाषाएं

1. फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, या कार्ड या कार्ड नंबर का मतलब फेडरल बैंक द्वारा जारी एक वैध क्रेडिट कार्ड होगा जो कार्ड सदस्य को पहले से तय क्रेडिट सीमा के लिए कार्ड खाते का उपयोग करने का अधिकार देता है। "कार्ड" चाहे किसी भी प्रकार का हो इसका अर्थ हर प्रकार के कार्ड है जैसे - भौतिक कार्ड, वर्चुअल/डिजिटल कार्ड, टोकनाइज्ड कार्ड।
2. अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड या ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड का मतलब प्राथमिक कार्ड सदस्य के कहने पर अतिरिक्त कार्ड सदस्य को जारी किया गया क्रेडिट कार्ड होगा।

3. अतिरिक्त कार्ड सदस्य का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत में कार्य करने वाला निवासी भारतीय/एनआरआई/विदेशी नागरिक है और प्राथमिक कार्ड सदस्य के परिवार का निकट सदस्य है। पति/पत्नी, भाई-बहन, माता-पिता, ससुराल वाले और बच्चे और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जिन्हें प्राथमिक कार्ड सदस्य के अनुरोध पर एक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है और जिनके शुल्क कार्ड खाते से वसूले जाने योग्य हैं।
4. बैंक, हमें, हम, हमारे या इसी तरह के सर्वनामों का अर्थ फेडरल बैंक लिमिटेड, उसके उत्तराधिकारी, नियुक्त, प्रशासक, परिसमापक आदि यथा स्थिति होगा।
5. बिलिंग चक्र दो लगातार बिलिंग विवरणों के बीच की अवधि है।
6. कार्ड सदस्य, प्राथमिक कार्ड सदस्य, कार्डधारक, सदस्य, ग्राहक, आप, आपका, वह, वे, उसका, या इसी तरह के सर्वनामों का अर्थ वह व्यक्ति होगा जिसके नाम पर कार्ड जारी किया गया है और कार्ड खाता खोल कर रखा गया है।
7. कार्ड खाता या खाते का मतलब प्राथमिक कार्ड सदस्य के नाम पर इन नियमों और शर्तों के तहत बैंक द्वारा खोल कर रखा गया खाता होगा।
8. अंतर्देशीय लेनदेन/उपयोग - भारत में व्यापारी दुकानों, एटीएम या ऑनलाइन लेनदेन पर होने वाला लेनदेन
9. अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन / उपयोग - विदेशी व्यापारी दुकानों, विदेशी एटीएम या भारत के बाहर की वेबसाइटों पर लेनदेन
10. क्रेडिट सीमा का अर्थ है किसी भी समय कार्ड खाते पर प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम उधार। क्रेडिट सीमा में अंतर्देशीय सीमा के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शामिल होगी। अंतर्देशीय सीमा अंतर्देशीय लेनदेन के लिए निर्दिष्ट अधिकतम क्रेडिट सीमा का मूल्य है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए निर्दिष्ट अधिकतम क्रेडिट सीमा की धनराशि है।
11. शुल्क का अर्थ इस समझौते के तहत कार्ड खाते में किए गए लेनदेन या शुल्क से होगा, भले ही कार्ड सदस्य शुल्क फॉर्मों के रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करता हो (या नहीं)। इसमें सामान, सेवाओं की खरीद या कार्ड या कार्ड नंबर का उपयोग करके खाते से किए गए नकद अग्रिम या ड्राफ्ट, शामिल होने का शुल्क, वार्षिक शुल्क, वित्त शुल्क, ओवरलिमिट शुल्क, देरी से भुगतान शुल्क, लेनदेन शुल्क शामिल होंगे, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। सेवा शुल्क, जीएसटी और कोई अन्य शुल्क/प्रभार/राशि जिसे कार्ड सदस्य इस समझौते के तहत भुगतान करने के लिए सहमत हुआ है या बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
12. नकद सीमा का अर्थ नकद या नकद समतुल्य राशि है जिसे कार्ड सदस्य को खरीद से इतर लेनदेन के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

13. इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल का अर्थ है शाखा टेलर टर्मिनल, एटीएम, बिक्री प्वाइन्ट टर्मिनल या ईडीसी (इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन) और अन्य उपकरण जिनमें क्रेडिट कार्ड और/या पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) का उपयोग किया जा सकता है, और जो बैंक द्वारा अधिकृत है जैसा कि नियम और शर्तों में वर्णित है।
14. एनएसीएच (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस) या ई-एनएसीएच का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित डेबिट क्लियरिंग सेवा होगा, जिसमें कार्ड खाते में बकाया राशि के भुगतान की सुविधा के लिए कार्ड सदस्य द्वारा लिखित रूप में भागीदारी की सहमति दी गई है।
15. वित्त शुल्क का मतलब इन नियमों और शर्तों में दिए गए अनुसार कार्ड खाते पर कुल बकाया राशि पर लगाया गया ब्याज होगा।
16. व्यापारिक प्रतिष्ठान का अर्थ किसी भी कंपनी, निगम, प्रतिष्ठान, फर्म, एसोसिएशन, व्यक्ति या किसी ऐसी संस्था से होगा जिसे बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित किया जा सकता है, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, जिसे मास्टरकार्ड/वीज़ा/रुपे व्यापारी और/के रूप में नामित किया गया हो या जिसके साथ कार्ड सदस्य के लिए कार्ड या कार्ड नंबर के उपयोग से सामान, सेवाएं या नकद अग्रिम प्राप्त करने के लिए किसी मास्टरकार्ड/वीज़ा/रुपे सदस्य बैंक के साथ व्यवस्था हो।
17. खरीदारी का मतलब कार्ड सदस्य द्वारा कार्ड या कार्ड नंबर का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं की खरीद शामिल होगी।
18. भुगतान देय तिथि का मतलब वह तारीख होगा जिस पर या उससे पहले कार्ड सदस्य द्वारा बैंक को भुगतान करना होगा।
19. स्मार्ट क्रेडिट कार्ड का अर्थ बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला क्रेडिट कार्ड होगा जो कार्ड सदस्य को बिक्री टर्मिनलों के विशिष्ट बिंदुओं पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर अर्जित और संचित लॉयल्टी पॉइंट्स को देखने और रिडीम करने में सुविधा प्रदान करेगा।
20. कुल बकाया का मतलब बैंक को देय कार्ड खाते पर कुल बकाया होगा, जिसमें बिलिंग चक्र के अंतर्गत समय-समय पर बैंक द्वारा लिए जाने वाले शुल्क, शुल्क और कोई अन्य राशियां शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
21. अस्थायी क्रेडिट सीमा वृद्धि का मतलब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कार्ड सदस्य द्वारा अनुरोध की गई क्रेडिट सीमा वृद्धि है। ऐसी वृद्धि एक विशिष्ट समय अवधि के लिए की जाती है और समय अवधि के अंत में समाप्त कर दी जाती है।
22. वैध कार्ड का मतलब एक क्रेडिट कार्ड है होगा जो बैंक द्वारा जारी किया गया है और समाप्त नहीं हुआ है, बैंक या कार्ड सदस्य द्वारा क्षतिग्रस्त या रद्द नहीं किया गया है।

एग्रीमेन्ट

एक कार्डधारक के रूप में आप निम्नलिखित से सहमत हैं:

नियम एवं शर्तें

1. आप यहां दिए गए नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं और जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों या किसी वैधानिक निकाय के तहत या समय-समय पर बैंक की नीति में बदलाव के कारण बैंक द्वारा संशोधित किया गया है।
2. कार्ड तभी मान्य होगा जब आपके द्वारा किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को वैध कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा।
3. कार्ड बैंक की संपत्ति है और मांगे जाने पर बिना किसी देरी के इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए या बैंक को सौंप दिया जाना चाहिए।
4. कार्ड हस्तांतरणीय नहीं है, और आपको इसे हर समय अपने व्यक्तिगत नियंत्रण में रखकर दुरुपयोग से बचना चाहिए।
5. (ए) आप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) सहित भारत में लागू कानूनों का अनुपालन करते हुए ही भारतीय रुपये के अलावा अन्य मुद्राओं में भुगतान के लिए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, कार्ड का उपयोग उन वेब साइटों पर किसी भी लेनदेन के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो भारत के कानूनों के तहत निषिद्ध हैं जिसके परिणामस्वरूप आपका आपराधिक दायित्व हो सकता है।
6. आपके कार्ड से जुड़ा कार्ड नेटवर्क आपके द्वारा चुना गया नेटवर्क (उपलब्ध नेटवर्कों में से) होगा जैसा कि कार्ड आवेदन पत्र में बताया गया है। उपरोक्त के बावजूद, यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपको कार्ड नवीनीकरण के समय नेटवर्क (उपलब्ध नेटवर्क में से) चुनने/बदलने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। यदि बैंक द्वारा नेटवर्क में बदलाव की अनुमति दी जाती है, तो आप उस नए नेटवर्क द्वारा दिए जाने वाले लाभ/अधिकार/दरों के हकदार होंगे, जिससे कार्ड जुड़ा हुआ है।

(बी) तथापि, आप नेपाल या भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करेंगे।

कार्ड सेवाएँ

कार्ड फेडरल बैंक की संपत्ति है. बैंक के पास (1) आवेदक की क्रेडिट योग्यता का पता लगाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं को लागू करने और क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट प्राप्त करने और (2) अपने विवेक पर किसी भी आवेदक को कार्ड जारी करने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित है। कार्ड हस्तांतरणीय नहीं है और इसका उपयोग यहां उल्लिखित शर्तों और फेडरल बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित हर अतिरिक्त शर्त के अधीन है। कार्ड सदस्य को कार्ड प्राप्त होने पर तुरंत उसके पीछे हस्ताक्षर करना होगा। फेडरल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र सभी कार्ड सदस्यों के लिए उपलब्ध है। कार्ड सदस्य फेडरल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से किसी भी सेवा/सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें क्रेडिट सीमा में वृद्धि, लेनदेन पर पूछताछ, कुल देय राशि, विवरण विवरण, भुगतान देय तिथि आदि शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। सेवाओं/सुविधाओं के संबंध में फेडरल बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों और समय-समय पर संशोधित ऐसी सुविधाओं/सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके का पालन किया जाना चाहिए।

### कार्ड की वैधता, समाप्ति और नवीनीकरण

1. आपका कार्ड कार्ड के मुखपृष्ठ पर दर्शाए गए वर्ष के कैलेंडर माह के अंतिम दिन तक वैध है, जब तक कि बैंक द्वारा पहले रद्द न किया गया हो। यदि आप वैधता अवधि के बाहर कार्ड का उपयोग करते हैं, तो उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।
2. समाप्ति या पहले रद्द किए जाने पर, आपका कार्ड बैंक के विवेक पर नवीनीकृत या बहाल किया जा सकता है। समाप्ति पर, कार्ड को चुंबकीय पट्टी पर से आधा काटकर नष्ट कर देना चाहिए।
3. उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब तक आप समझौते का उल्लंघन नहीं करते हैं या अन्यथा रूप से इसके तहत, बैंक स्वचालित रूप से कार्ड की वैधता को नवीनीकृत कर देगा और वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कार्ड की समाप्ति से पहले आपको एक नया कार्ड भेज देगा। नवीनीकृत कार्ड न मिलने की स्थिति में, आप बैंक के नामित ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या समय-समय पर आपको सूचित पते पर बैंक को लिख सकते हैं।
4. यदि आप कार्ड को नवीनीकृत नहीं करना चाहते हैं तो आपको वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कार्ड की समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले बैंक को सूचित करना होगा। इसके अभाव में, नवीनीकरण शुल्क (जैसा कि नवीनीकरण के समय लागू होता है) आपके कार्ड खाते से लिया जाएगा और गैर-वापसी योग्य होगा।

### फीस

1. आप कार्ड के संबंध में निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हैं:

§ ज्वाइनिंग शुल्क: क्रेडिट कार्ड जारी करते समय प्रचलित दर पर।

§ वार्षिक शुल्क: क्रेडिट कार्ड जारी करने के समय प्रचलित दर पर और उसके बाद उस महीने के दौरान वार्षिक शुल्क जिसमें क्रेडिट कार्ड मूल रूप से जारी किया गया था।

§ अतिरिक्त कार्ड ज्वानिंग शुल्क और वार्षिक शुल्क: जारी करने के समय कार्ड खाते पर प्रत्येक अतिरिक्त कार्ड के लिए प्रचलित दर पर और उसके बाद उस महीने के दौरान सालाना जिसमें ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड मूल रूप से जारी किया गया था।

2. शुल्क वापसी योग्य नहीं है और बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन है। परिवर्तन आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से पूर्व सूचना से प्रभावी होंगे। शुल्क और शुल्कों की एक अनुसूची अनुरोध पर हमेशा उपलब्ध रहती है। यह हमारी वेबसाइट [www.federalbank.co.in](http://www.federalbank.co.in) पर भी उपलब्ध है।

3. वेलकम ऑफर केवल उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा जो सदस्यता शुल्क का भुगतान करते हैं।

#### अतिरिक्त कार्ड

1. एक कार्ड खाते में कई अतिरिक्त कार्ड हो सकते हैं, संख्या बैंक के विवेक पर निर्धारित की जाएगी।

2. आपका अनुरोध/प्राधिकार प्राप्त होने पर, बैंक अपने विवेक से अतिरिक्त कार्ड सदस्य को अतिरिक्त कार्ड जारी कर सकता है।

3. आप अतिरिक्त कार्ड पर किए गए सभी लेनदेन और शुल्कों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे, जो आपके खाते के विवरण में शामिल किया जाएगा। अतिरिक्त कार्ड सदस्य सभी शुल्कों के लिए आपके साथ-साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग बैंक के प्रति उत्तरदायी होंगे, भले ही खाते का मासिक विवरण केवल आपको भेजा जाये नियम और शर्तें अतिरिक्त कार्ड सदस्यों पर भी बाध्यकारी होंगी।

4. आप बैंक से अनुरोध करके अतिरिक्त कार्ड की सुविधा वापस ले सकते हैं और अतिरिक्त कार्ड को आधा काटकर बैंक को वापस कर सकते हैं। इसकी प्राप्ति पर, बैंक अतिरिक्त कार्ड रद्द कर देगा।

5. यदि प्राथमिक कार्ड खाता किसी भी कारण से समाप्त हो जाता है तो अतिरिक्त कार्ड सुविधा और विशेषाधिकार स्वतः ही वापस ले लिए जाएंगे।

#### क्रेडिट लिमिट्स

1. बैंक, अपने विवेक से, आपकी क्रेडिट सीमा निर्धारित करेगा और समय-समय पर आपको इसके बारे में सूचित करेगा। हालाँकि, आप कार्ड खाते और अतिरिक्त कार्ड सदस्य के लिए कम सीमा का अनुरोध कर सकते हैं। अतिरिक्त कार्ड सदस्य को सौंपी गई क्रेडिट सीमा प्रत्येक बिलिंग चक्र के बाद निर्धारित सीमा पर बहाल की जाएगी। आपकी क्रेडिट सीमा आपके मासिक विवरण पर विवरण समापन तिथि पर उपलब्ध क्रेडिट राशि के साथ भी दिखाई जाएगी। बैंक अपने विवेक पर और/या आपके अनुरोध पर समय-समय पर क्रेडिट सीमा को संशोधित कर सकता है।

2. व्यापारिक प्रतिष्ठान में कार्ड का उपयोग बैंक द्वारा प्रत्येक कार्ड खाते को दी गई क्रेडिट सीमा तक सीमित होगा। बैंक द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त कार्डों के मामले में, जारी किए गए इन कार्डों के उपयोग की सीमा कार्ड खाते की क्रेडिट सीमा तक सीमित होगी। कार्ड खाते पर बकाया किसी भी समय क्रेडिट सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में, आपसे प्रचलित दर पर शुल्क लिया जाएगा, भले ही आप क्रेडिट सीमा से कितनी भी अधिक राशि पार कर गए हों। आपको अतिरिक्त राशि तुरंत चुकानी होगी। उपर्युक्त शुल्क बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन है।

3. यदि आपका कार्ड रद्द कर दिया गया तो आपकी क्रेडिट सीमा और कार्ड खाता समाप्त कर दिया जाएगा। यदि आप भुगतान देयता तिथि पर या उससे पहले देय न्यूनतम राशि का निपटान करने में विफल रहते हैं, तो बैंक के पास कार्ड खाते के नियमित होने तक कार्ड पर सुविधा रोकने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

4. यदि आप मासिक विवरण के अनुसार देय राशि से अधिक भुगतान करते हैं, तो आप उक्त क्रेडिट शेष राशि पर ब्याज के हकदार नहीं होंगे और इसे बाद के मासिक विवरण में देय राशि के प्रति समायोजित किया जाएगा।

5. आपके क्रेडिट कार्ड पर निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा विदेशी खरीद लेनदेन (ऑनलाइन सहित) या एटीएम उपयोग के लिए अधिकतम उपयोग सीमा को इंगित करती है

## कार्ड का उपयोग

1. कार्ड प्राप्त होने पर, आपको तुरंत कार्ड के पीछे हस्ताक्षर पैनल पर हस्ताक्षर करना होगा।

2. कार्ड का उपयोग केवल वास्तविक व्यक्तिगत या वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है। आप किसी भी वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनर्विक्रय करने के लिए कुछ भी खरीदने के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करेंगे।

3. अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग निषिद्ध वस्तुओं की खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है, जैसे लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या प्रतिबंधित पत्रिकाएं, स्वीप स्टेक में भागीदारी, कॉल-बैक सेवाओं के लिए भुगतान, और/या ऐसी वस्तुओं/गतिविधियों के लिए जिनके लिए विदेशी मुद्रा की निकासी हेतु अनुमति नहीं होती है।

4. चार्ज लेते समय आपको चार्ज स्लिप, नकद अग्रिम स्लिप या मेल ऑर्डर कूपन पर हस्ताक्षर करना होगा और/या एकत्र करना होगा। चार्ज स्लिप पर हस्ताक्षर न कर पाने की दशा आपको शुल्क के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। आपको चार्ज पर्चियों की अपनी प्रति कम से कम छह महीने तक रखनी होगी। आपके अनुरोध पर, बैंक अपने विवेक पर, प्रचलित दर पर अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के अधीन, चार्ज स्लिप की प्रतियां प्रदान कर सकता है।
5. बैंक किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के, या कोई भी कारण बताए बिना, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को शुल्क के लिए प्राधिकार से इनकार कर सकता है और/या कार्ड सदस्य की कार्ड का उपयोग करने की क्षमता को प्रतिबंधित या स्थगित कर सकता है और/या कार्ड को निलंबित या रद्द कर सकता है। एटीएम, व्यापारिक प्रतिष्ठान के माध्यम से बैंक स्वयं ही क्रेडिट कार्ड को वापस ले सकता है/रख सकता है यदि उसे यथोचित विश्वास हो कि क्रेडिट या व्यावसायिक जोखिम के उचित प्रबंधन के लिए ऐसा करना आवश्यक है या यदि कार्ड या कार्ड खाते का दुरुपयोग किया जा रहा है या होने की संभावना है दुरुपयोग किया जाए, आप उपरोक्त से सहमत हैं।
6. भुगतान के लिए कार्ड खाते पर किसी भी लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्राप्त कोई भी शुल्क पर्ची या अन्य भुगतान मांग, निर्णायक प्रमाण होगी कि ऐसी शुल्क पर्ची या अन्य मांग पर दर्ज राशि आपके द्वारा कार्ड के उपयोग से खर्च की गई थी। जहां चार्ज स्लिप या वाउचर उपलब्ध नहीं है। मेल ऑर्डर या टेलीफोन ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और आप उस लेनदेन पर विवाद करते हैं, तो आप पहले कार्ड पर बकाया का भुगतान करेंगे और संबंधित व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ सीधे विवाद का समाधान करेंगे। बैंक इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।
7. बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कुछ उत्पाद और सेवाओं की खरीद पर अधिभार लगाया जा सकता है। अधिभार का भुगतान अनिवार्य है और यह समय-समय पर भिन्न हो सकता है।
8. खाते का मासिक विवरण आपके द्वारा किए गए शुल्क का प्रथम दृष्टया प्रमाण होगा। यदि आप विवरण में दर्शाए गए किसी शुल्क से असहमत हैं, तो उसे विवरण तिथि के 60 (साठ) दिनों के भीतर बैंक को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए, अन्यथा खाते के विवरण में लगाया गया शुल्क बैंक को भुगतान करने के लिए आपके दायित्व का निर्णायक प्रमाण बन जाएगा।
9. यदि व्यापारिक प्रतिष्ठान कार्ड स्वीकार करने से इनकार करता है या कार्ड पर अधिभार लगाता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। हालाँकि, कार्ड सदस्य को इस शिकायत के बारे में बैंक को समय-समय पर बैंक द्वारा अधिसूचित पते पर या निर्दिष्ट ग्राहक सेवा केंद्र पर सूचित करना चाहिए।
10. बैंक आपके द्वारा खरीदे गए या प्राप्त किए गए माल, मूल्य, दर, गुणवत्ता, वारंटी, विशेषाधिकार, लाभ, सेवाओं में कमी/विलंब, डिलीवरी या गैर-डिलीवरी आदि सहित सुविधाओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार और/या उत्तरदायी नहीं होगा। आपके द्वारा दिए गए किसी भी मेल ऑर्डर या टेलीफोन ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (जैसे, इंटरनेट) सहित व्यापारिक प्रतिष्ठान और/या तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ता से। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा आपको सीधे व्यापारिक प्रतिष्ठान/तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं के साथ करना चाहिए और ऐसा करने में विफलता आपको बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी।



11. किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के विरुद्ध आपका कोई भी दावा बैंक के विरुद्ध प्रतिदावे या प्रतिदावे का विषय नहीं होगा।
12. आपके प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी हुए बिना, बैंक अपने विवेक से कार्ड को निलंबित कर सकता है/वापस ले सकता है। कार्ड और इस कार्ड सदस्य अनुबंध की समाप्ति के परिणामस्वरूप इससे जुड़े विशेषाधिकार, लाभ और सुविधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी।
13. आपको वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान करना होगा। वित्त या शुल्क शुल्क से बचने के लिए हवाई/रेल टिकट आदि जैसा कि विवरण में लिखा है, भले ही बाद में खरीदारी रद्द कर दी गई हो। रद्द किए जाने के कारण रिफंड बैंक द्वारा प्राप्त होने पर ही कार्ड खाते में क्रेडिट किया जाएगा (रद्दीकरण शुल्क घटाकर) आपको कोई नकद रिफंड नहीं दिया जाएगा। यदि उचित समय के भीतर खाते के विवरण में क्रेडिट नहीं दिखाया जाता है, तो आपके द्वारा तुरंत बैंक को सूचित करना होगा।
14. आप इस कार्ड सदस्य अनुबंध के कानूनों, नियमों, विनियमों और शर्तों के उल्लंघन में कार्ड के उपयोग के लिए पूरी ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं और बैंक को क्षतिपूर्ति करने और किसी भी नुकसान, क्षति, ब्याज, रूपांतरण, किसी भी अन्य वित्तीय शुल्क और आउटगोइंग, लागत और परिणाम जो बैंक आपकी वजह से वहन या भुगतान करे और आपके कार्य, चूक/कमीशन और लापरवाही की भरपाई करने का आप वचन देते हैं।
15. बैंक द्वारा आपको प्रदान की गई सेवाओं पर लगाए गए किसी भी वैधानिक बकाया का भुगतान करने के लिए भी आप उत्तरदायी हैं।
16. आप सहमत हैं और इसके द्वारा बैंक को आपके द्वारा विदेशी मुद्रा में किए गए शुल्क को भारतीय रुपये के बराबर दर पर परिवर्तित करने के लिए अधिकृत करते हैं, जैसा कि बैंक समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।
17. आप इस बात से सहमत हैं कि कार्ड का उपयोग करके खरीदा गया सामान तब तक बैंक की संपत्ति बना रहेगा जब तक कि आप उससे संबंधित शुल्क का पूरा भुगतान बैंक को नहीं कर देते।

#### नकद अग्रिम

1. आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग बैंक की ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम), चुनिंदा भागीदार बैंकों और अन्य स्थानों/अनुमत प्रतिष्ठानों से नकदी निकालने के लिए कर सकते हैं, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर किया जा सकता है और किसी अन्य के लिए भी नकद समतुल्य लेनदेन जैसे डिमांड ड्राफ्ट सुविधा, बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमति दी जाती है। ऐसे नकद अग्रिमों और नकद समरूपी लेनदेन के लिए, आपको आरबीआई और अन्य सरकारी निकायों द्वारा अधिसूचित

कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा जो विदेशी मुद्रा कानून और उसके तहत सीमित नहीं हैं। आप किसी भी व्यक्ति को नकद अग्रिम के लिए बैंक द्वारा प्रदान किए गए एटीएम कोड/पिन को उजागर नहीं करेंगे और किसी भी व्यक्ति द्वारा इसकी खोज को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतेंगे।

2. आप अपनी नकदी सीमा तक नकद अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर परिभाषित और/या सूचित किया जा सकता है, उपलब्ध नकदी सीमा और नकद अग्रिम लेनदेन पर लागू ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन है।

3. नकद अग्रिम के लिए शुल्क जैसे लेनदेन शुल्क, हैंडलिंग शुल्क आदि और उसके नियम और शर्तें कार्ड सदस्य को लिखित रूप में सूचित की जाएंगी। ऐसे शुल्क बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं और निकासी की तारीख से निपटान की तारीख तक लगाए जाएंगे।

### बिलिंग एवं निपटान

1. बैंक आपके द्वारा प्रदान किए गए मेलिंग पते या ईमेल आईडी पर प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए महीने में एक बार एक विवरण भेजेगा, जिसके दौरान कार्ड खाते पर 200 रुपये से अधिक की कोई गतिविधि या बकाया होगा। भुगतान की देय तिथि बिलिंग तिथि से अधिकतम 18 दिन तक होगी।

2. बैंक आपके द्वारा किए गए सभी शुल्कों के लिए कार्ड खाते से डेबिट करेगा और आपके द्वारा बैंक को किए गए सभी भुगतानों और आपके पक्ष में व्यापारिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त किसी भी क्रेडिट के लिए कार्ड खाते में क्रेडिट करेगा।

3. बैंक कार्ड सदस्य द्वारा किए गए लेनदेन और/या किए गए भुगतान और/या प्राप्त क्रेडिट के आधार पर मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए मासिक विवरण में वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद, नकद अग्रिम, शुल्क, जीएसटी और अन्य शुल्क, भुगतान और कार्ड खाते में क्रेडिट की पहचान की जाएगी। मासिक विवरण कुल बकाया राशि के साथ-साथ आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम देय राशि भी दिखाएगा। आपके द्वारा कम से कम देय न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा ताकि विवरण में बताई गई भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले बैंक तक पहुंच सके। आपके खाते में तभी पैसा जमा किया जाएगा जब बैंक को आपसे या आपके बैंक से समाशोधित धनराशि का भुगतान प्राप्त होगा। किसी भी अतिदेय राशि और क्रेडिट सीमा से अधिक की कोई भी राशि तुरंत देय होगी। ध्यान दें कि हर महीने केवल न्यूनतम भुगतान करने से आपकी बकाया राशि पर ब्याज भुगतान के साथ पुनर्भुगतान कई वर्षों तक खिंच जाएगा।

4. आप खाते के मासिक विवरण में बताए अनुसार न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं और शेष राशि के भुगतान को अगले बिलिंग चक्र में ले जा सकते हैं। न्यूनतम देय राशि बैंक द्वारा अपने विवेक से निर्धारित की जाएगी।

5. भुगतान देयता तिथि तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान न करने पर आपको क्रेडिट कार्ड पर सुविधा वापस लेने या निलंबित करने (चाहे अस्थायी या स्थायी) का जोखिम उठाना पड़ सकता है। ऐसे भुगतान न करने पर शुल्क भी लगाया जा सकता है। बैंक अपने विवेक के आधार पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को क्रेडिट कार्ड का सम्मान न करने और/या बैंक द्वारा समय-समय पर जारी चेतावनी बुलेटिन में कार्ड नंबर सूचीबद्ध करके कार्ड को अपने कब्जे में लेने का निर्देश भी दे सकता है।
6. आप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए ई-एनएसीएच के माध्यम से बैंक को बैंक या किसी अन्य बैंक में रखे गए खाते से सीधे डेबिट करने और आपके कार्ड खाते में क्रेडिट करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। यदि आप ई-एनएसीएच चाहते हैं, तो बैंक आपको उस पर लागू नियमों और शर्तों पर अलग से सलाह देगा।
7. आउटस्टेशन चेक/ड्राफ्ट यानी कुछ निर्दिष्ट शहरों के अलावा अन्य शहरों में देय चेक/ड्राफ्ट, जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा तय किया जाता है (अनुरोध पर उपलब्ध है) पर प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा। बाहरी चेकों के प्रसंस्करण के संबंध में शुल्क का उल्लेख शुल्क अनुसूची में किया गया है। ऐसे स्थानों की सूची और प्रसंस्करण शुल्क को बैंक द्वारा बिना किसी सूचना के अपने विवेक से बदला जा सकता है।
8. यदि आपका कोई भुगतान उपकरण बाद में अस्वीकृत हो जाता है, तो कार्ड विशेषाधिकारों को निलंबित/समाप्त किया जा सकता है और बैंक के विवेक पर, शुल्क की अनुसूची में उल्लिखित शुल्क कार्ड खाते पर लगाया जाएगा। ऐसी शुल्क राशि बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन है। बैंक किसी भी उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
9. आपके या भुगतान करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी निर्देश या विशिष्ट विनियोजन के बावजूद, कार्ड खाते के लिए प्राप्त कोई भी और सभी भुगतान हमारे आंतरिक लेखांकन और क्रेडिट दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे द्वारा लागू या विनियोजित किया जा सकता है।
10. शुल्कों की अनुसूची में निर्दिष्ट सेवा शुल्क के भुगतान के अधीन आपके अनुरोध से पहले बारह महीने की अवधि तक बैंक आपको खातों के डुप्लिकेट मासिक विवरण प्रदान करेगा और जिसे बैंक के विवेक पर बदला जा सकता है।
11. ऐसे मामले में जहां आप अपने एनआरओ खाते से भुगतान कर रहे हैं, आप गारंटी देते हैं कि ऐसा भुगतान भारत में आपके वैध प्राप्य से उत्पन्न ऐसे एनआरओ खाते में मौजूद शेष राशि से किया जाता है, न कि किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या किसी अन्य एनआरओ खाते से स्थानांतरण। ऐसी वारंटी के उल्लंघन पर, आप फेमा के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। आप यह भी पुष्टि करते हैं और आश्वासन देते हैं कि एनआरओ खाते में आपके शेष राशि से भारत के बाहर भेजी गई राशि, एनआरओ खाते से एनआरई खाते में स्थानांतरित की गई राशि, क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान और किसी अन्य अनुरोध के माध्यम से स्थानांतरित की जाने वाली राशि अमेरिकी डॉलर 1,000,000 (यू एस डॉलर एक मिलियन) या किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक में इसके बराबर या इससे कम है।

12. एनआरओ खाते में डेबिट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड बिल निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि के लिए, आप पुष्टि करते हैं कि सीबीडीटी नियमों के अनुसार भारत में कर योग्य आय पर लागू करों का भुगतान किया गया है और कार्ड धारक और एनआरओ खाता धारक एक ही हैं।

### ऑटो डेबिट सुविधा

कार्ड सदस्य कार्ड की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए ऑटो डेबिट सुविधा का लाभ उठा सकता है। ऑटो डेबिट सुविधा का लाभ उठाने पर, कार्ड सदस्य के बैंक खाते (जिसका विवरण फेडरल बैंक को प्रदान किया जाएगा) से ऊपर उल्लिखित राशि, भुगतान देय तिथि पर डेबिट की जाएगी जैसा कि कार्ड सदस्य को भेजे गए विवरण में दर्शाया गया है। हालाँकि, भुगतान की देयता तिथि एक व्यावसायिक दिन होनी चाहिए अन्यथा बैंक खाते से अगले व्यावसायिक दिन पर डेबिट किया जाएगा। भुगतान देयता तिथि पर उक्त बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने की स्थिति में, कार्ड सदस्य कार्ड बकाया के अलावा लागू सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। कार्ड सदस्य सहमत है और पुष्टि करता है कि ऑटो डेबिट सुविधा का लाभ उठाने के लिए कार्ड सदस्य द्वारा फेडरल बैंक में जमा किए गए सभी विवरण सही और पूर्ण होंगे। यदि अधूरी या गलत जानकारी या किसी भी कारण से ऑटो डेबिट लेनदेन में देरी होती है या बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है तो फेडरल बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। कार्ड सदस्य इसके अलावा सहमत है और वचन देता है कि वह फेडरल बैंक के पक्ष में जारी किए गए ऑटो डेबिट निर्देशों के बारे में कार्ड सदस्य के बैंक को सूचित करेगा और फेडरल बैंक की पूर्व सहमति के बिना उक्त बैंक खाते को बंद नहीं करेगा। फेडरल बैंक की लिखित सहमति के बिना ऐसे निर्देशों को वापस नहीं लिया जा सकता/रद्द नहीं किया जा सकता। कार्ड सदस्य इस बात से सहमत है और सहमति देता है कि ऑटो रिकवरी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बैंक में रखे गए कार्ड सदस्य के किसी भी सक्रिय खाते से बकाया राशि भी वसूल की जा सकती है।

### वित्त शुल्क

1. नकद अग्रिम सहित सभी शुल्कों पर मासिक प्रतिशत दर पर वित्त शुल्क देय होते हैं, जिस तारीख से आप लेनदेन शुरू करते हैं उससे लेकर जब तक कि उनका पूरा भुगतान नहीं हो जाता।
2. नकद अग्रिम और अन्य क्रेडिट कार्ड खाते से शेष राशि हस्तांतरण पर नकद या नकद समरूप की निकासी की तारीख से तुरंत और ऐसे शेष हस्तांतरण के लिए बैंकर्स चेक जारी करने की तारीख से वित्त शुल्क लगता है, जबकि खरीदारी के लिए, वित्त शुल्क लगाया जाता है। केवल तभी जब भुगतान देय तिथि तक कुल बकाया या उसके किसी हिस्से का भुगतान नहीं किया जाता है और उसे पिछले बिलिंग चक्र से अगले बिलिंग चक्र में आगे बढ़ाया जाता है।
3. वित्त शुल्क, यदि देय हो तो प्रत्येक विवरण अवधि की अंतिम तिथि पर आपके कार्ड खाते से डेबिट किया जाता है और आपके विवरण पर दिखाया जाता है।
4. आप अपने कुल बकाया पर बैंक द्वारा परिभाषित और समय-समय पर बैंक द्वारा संशोधित दर पर वित्त शुल्क का भुगतान करेंगे।

5. कुछ सुविधाओं जैसे बैलेंस ट्रांसफर सुविधा आदि के लिए वित्त शुल्क की दर भिन्न हो सकती है और बैंक समय-समय पर इसे निर्दिष्ट करेगा।

6. ऊपर दिए गए वित्त शुल्क, इस समझौते की समाप्ति या कार्ड खाते के बंद होने के बाद भी तब तक देय रहेंगे जब तक कि कार्ड खाते पर बकाया पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता।

7. बैंक आपको सूचित करते हुए किसी भी समय अपने विवेक से अपनी सभी या कुछ सुविधाओं के लिए वित्त शुल्क में बदलाव कर सकता है।

विदेश में लगाए गए चार्ज

कार्ड सदस्य घोषणा करता है कि उसे जारी किया गया क्रेडिट कार्ड, यदि विदेश में उपयोग किया जाता है, तो आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित प्रासंगिक विनिमय नियंत्रण नियमों के अनुसार सख्ती से उपयोग किया जाएगा। यदि कार्ड सदस्य आरबीआई के विनिमय नियंत्रण दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पात्रता से अधिक हो जाता है, तो कार्ड सदस्य को इसे तुरंत फेडरल बैंक के ध्यान में लिखित रूप में लाना होगा। यदि पासपोर्ट को आरबीआई द्वारा निर्धारित ऐसे किसी भी शुल्क के लिए पृष्ठांकित (एन्डोर्स) करने की आवश्यकता है, तो पासपोर्ट को पृष्ठांकित कराने का दायित्व पूरी तरह से कार्ड सदस्य पर होगा। कार्ड सदस्य द्वारा आरबीआई द्वारा जारी प्रचलित विनिमय नियंत्रण दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, वह समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, और कार्ड से वंचित कर दिया जाएगा। सुविधा या तो फेडरल बैंक के कहने पर या आरबीआई द्वारा। समय-समय पर जारी आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा अधिकारों से अधिक होने के कारण शुल्क में गिरावट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के संबंध में फेडरल बैंक किसी भी दायित्व के तहत नहीं होगा, फेडरल बैंक को इस बात की जानकारी होने पर कार्ड धारक अपनी पात्रता से अधिक राशि प्राप्त कर रहा है। यदि कोई लेन-देन भारतीय रुपये के अलावा किसी अन्य मुद्रा में किया जाता है, तो वह लेन-देन भारतीय रुपये में बदल दिया जाएगा। रूपांतरण फेडरल बैंक के साथ लेन-देन के निपटान की तारीख पर होगा, जो कि वही तारीख नहीं हो सकती जिस दिन लेन-देन किया गया था। यदि लेनदेन अमेरिकी डॉलर में नहीं है, तो चार्ज की गई राशि को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करके और फिर अमेरिकी डॉलर की राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित करके, अमेरिकी डॉलर के माध्यम से रूपांतरण किया जाएगा।

देर से भुगतान शुल्क

ऐसी स्थिति में, आप भुगतान देयता तिथि तक मासिक विवरण में दर्शाई गई न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, शुल्क की अनुसूची में उल्लिखित विलंब भुगतान शुल्क कार्ड खाते पर लगाया जाएगा। यह शुल्क बैंक के विवेक पर भिन्न हो सकता है और आपको सूचित किया जाएगा।

## अन्य शुल्क/प्रभार

आप बैंक द्वारा किए गए सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए सहमत हैं, जिनमें नवीकरण, प्रतिस्थापन, डुप्लिकेट स्टेटमेंट आदि के लिए शुल्क, नकद अग्रिम पर लेनदेन शुल्क, बाहरी शुल्क के लिए संग्रह शुल्क, कानूनी लागत, कोई अन्य शुल्क/प्रभार आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

## जीएसटी

आप भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दर पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो समय-समय पर लागू निर्धारित शुल्क, वित्त शुल्क, अन्य शुल्क/प्रभार आदि पर लगाया जा सकता है।

## व्यक्तिगत पहचान संख्या

कार्ड सदस्य को कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, उसे एक व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) जारी की जाएगी। पिन पंजीकृत मेल आईडी पर भेजा जाएगा और ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा। कार्ड प्राप्त न होने की स्थिति में सदस्य को फेडरल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करना होगा। इस पिन को बाद में, कार्ड सदस्य द्वारा अपने जोखिम पर, एटीएम पर या फेडरल बैंक मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग या फेडरल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र पर बदला जा सकता है। पिन कार्ड खाते तक पहुंच प्रदान करता है और कार्ड सदस्य पिन के उपयोग, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ-साथ ऐसे पिन का उपयोग करके कार्ड खाते में दर्ज किए गए सभी आदेशों और सूचना परिवर्तनों के लिए एकमात्र जिम्मेदारी स्वीकार करता है। कार्ड सदस्य किसी भी रूप में पिन रिकॉर्ड नहीं करेगा ताकि पिन किसी तीसरे पक्ष को पता चल सके। फेडरल बैंक कार्ड सदस्य द्वारा पिन द्वारा प्रमाणित लेनदेन और निर्देशों को करने के लिए अधिकृत है और इसे रद्द नहीं करेगा। फेडरल बैंक पर कार्ड सदस्य के पिन के सत्यापन के अलावा कार्ड सदस्य द्वारा भेजे गए या भेजे गए कथित लेनदेन निर्देश की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कोई दायित्व नहीं है। कार्ड सदस्य को पिन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर समय यहां बताए गए कदमों सहित सभी उचित कदम उठाने होंगे। यदि कार्ड सदस्य सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो वह फेडरल बैंक के लिए उत्तरदायी हो सकता है। फेडरल बैंक, अपने पूर्ण विवेक से, यहां बताए गए प्रावधानों और फेडरल बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन मौजूदा कार्ड पर एक नया पिन जारी कर सकता है। कार्ड और/या पिन के किसी भी अनुचित/धोखाधड़ी/अनधिकृत/डुप्लिकेट/गलत उपयोग के मामले में कार्ड सदस्य फेडरल बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। कार्ड किसी तीसरे पक्ष के हाथ में पड़ने या पिन किसी तीसरे पक्ष की जानकारी में आने के कारण किसी तीसरे पक्ष द्वारा कार्ड के उपयोग/दुरुपयोग से जुड़े किसी भी परिणाम के लिए फेडरल बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। यदि कोई तीसरा पक्ष कार्ड खाते सहित सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करता है, तो कार्ड सदस्य जिम्मेदार होगा और तीसरे पक्ष द्वारा ऐसे दुरुपयोग/उपयोग के आधार पर या उससे संबंधित किसी भी पहुंच और उपयोग, या अन्यथा दायित्व, लागत या क्षति के खिलाफ फेडरल बैंक को क्षतिपूर्ति देगा। यदि मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, तो पिन डाक पते पर अलग से भेजा जाएगा।

कार्ड को मौजूदा बचत खाते से जोड़ना

आवेदक स्वीकार करता है और सहमत है कि उसका कार्ड फेडरल बैंक के विवेक पर उसके मौजूदा फेडरल बैंक बचत खाते, यदि कोई हो, से लिंक किया जाएगा। एकाधिक खातों के मामले में, ग्राहक कार्ड खाते से लिंक किए जाने वाले बचत खाते का चयन कर सकता है। आवेदक आगे स्वीकार करता है और समझता है कि इससे उसे इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं और फेड मोबाइल सुविधा के माध्यम से फेडरल बैंक बचत खाते के तहत उसे प्रदान की गई मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी, यदि कोई हो, का उपयोग करके अपने कार्ड खाते तक पहुंचने में सक्षम बनाया जाएगा। आवेदक उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवेदक द्वारा प्रदान किए गए केवाईसी विवरण का उपयोग करने के लिए फेडरल बैंक को सहमति प्रदान करता है और अधिकृत करता है। आवेदक समझता है कि वह फेडरल बैंक ग्राहक सेवा पर कॉल करके अपने फेडरल बैंक बचत खाते को अपने कार्ड से डीलिनक कर सकता है।

अलर्ट

आप सहमत हैं कि बैंक आपको आपके कार्ड खाते की स्थिति के बारे में सूचित रखेगा और समय-समय पर आपको एसएमएस और/या ईमेल या किसी अन्य संचार चैनल के माध्यम से संदेश भेजकर कोई अन्य जानकारी प्रदान करेगा और आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

पुरस्कार कार्यक्रम

कार्यक्रम

फ़ेडरल बैंक पुरस्कार कार्यक्रम पात्र कार्डधारकों को समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित उनके फ़ेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड पर खर्च से अंक जमा करने की अनुमति देता है। कार्ड पर जमा हुए अंकों को भुनाया जा सकता है

क) वस्तुएँ

ख) उपहार वाउचर

नियम एवं शर्तें

1. सदस्य को अपने खाते को सक्रिय करने और अपने इनाम अंक और अन्य कार्यक्रम लाभों का उपयोग शुरू करने के लिए अपनी ग्राहक आईडी, अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड पर अंकित नाम और बैंक रिकॉर्ड के अनुसार जन्म तिथि का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

2. मौजूदा नेट बैंकिंग ग्राहक अपने नेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करके और रिवॉर्ड विकल्प के माध्यम से नेविगेट करके पंजीकरण कर सकते हैं
3. फेडरल बैंक का पुरस्कार कार्यक्रम पात्र सदस्यों को समय-समय पर फेडरल बैंक द्वारा निर्दिष्ट लेनदेन और अन्य कार्यों के लिए अंक जमा करने की अनुमति देता है। ऐसे लेन-देन पर जमा किए गए अंकों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों के लिए आदान-प्रदान किया जा सकता है जो समय-समय पर पुरस्कार कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
4. रिवॉर्ड रिडेम्पशन के पात्रता मानदंड की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
5. खातों की पहचान प्राथमिक हस्ताक्षरकर्ता की ग्राहक पहचान संख्या (ग्राहक आईडी) द्वारा की जाती है, जैसा कि फेडरल बैंक द्वारा बनाए गए ग्राहक रिकॉर्ड द्वारा स्थापित किया गया है।
6. फेडरल बैंक लॉयल्टी रिवार्ड्स प्रोग्राम में किसी भी व्यक्ति की सदस्यता को वापस लेने/बंद करने और किसी भी अर्जित अंक को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अधिक जानकारी के लिए [www.FederalRewards.in](http://www.FederalRewards.in) पर जाएं

#### ग्राहक सेवा सेवाएँ

1. बैंक आपको टेलीफोन पर निर्देश देकर आपके कार्ड खाते की जानकारी तक पहुंच और लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसे बैंक द्वारा मैनुअल रूप से या स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से स्वीकार किया जा सकता है। हालाँकि, बैंक अपने विवेक से टेलीफोन पर दी/ली जाने वाली जानकारी/लेन-देन की प्रकृति पर निर्णय ले सकता है। बैंक आपके अनुरोध पर कार्रवाई करने से पहले आपकी पहचान प्रमाणित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। इस सुविधा के उपयोग के लिए आपको विशिष्ट टेलीफोन व्यक्तिगत पहचान संख्या (टीपीआईएन) भी दी जा सकती है।
2. आप सहमत हैं कि बैंक द्वारा ऐसे निर्देशों पर सद्भावनापूर्वक कार्य करने के कारण आप बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे।
3. बैंक अपने विवेक से ऐसे निर्देशों को रिकॉर्ड कर सकता है और किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ऐसे टेलीफोन निर्देशों की प्रतिलिपि पर भरोसा कर सकता है।



4. आपके अनुरोध पर बैंक आपको फ़ैक्स द्वारा (आपके द्वारा दिए गए फ़ैक्स नंबर पर) कार्ड खाते के संबंध में वित्तीय जानकारी (आपके द्वारा मांगी गई) भेज सकता है जो निजी और/या गोपनीय प्रकृति की हो सकती है ऐसी जानकारी किसी तीसरे पक्ष को पता चलने पर आप बैंक को किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे।
5. ऐसे निर्देशों का पालन करते समय, बैंक सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर ऐसा करेगा और आपके किसी भी निर्देश पर तुरंत या बिल्कुल भी कार्रवाई करने में बैंक की ओर से देरी या असमर्थता के कारण यह उत्तरदायी नहीं होगा।
6. बैंक ऐसे निर्देशों को लागू न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जहां बैंक के पास यह मानने का कारण हो कि निर्देश वास्तविक नहीं हैं या सुविधा को वापस लेने या निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है।
7. यदि बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन के विवरण या विवरण में कोई विसंगति है, तो आपको बैंक से सलाह प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर विसंगति के बारे में बैंक को सूचित करना होगा।
8. बैंक द्वारा आपको उक्त सुविधा प्रदान करने पर विचार करते हुए आप बैंक को उन सभी कार्रवाइयों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, लागतों, शुल्कों और खर्चों के खिलाफ क्षतिपूर्ति देंगे और रखेंगे जो आपके द्वारा इस सुविधा का उपयोग करने के परिणामस्वरूप या उसके कारण बैंक को उठाना, झेलना या भुगतना पड़ सकता है।

### इंटरनेट बैंकिंग

1. आप इस बात से सहमत हैं कि कोई भी इंटरनेट लेनदेन करते समय, विदेशी मुद्रा का कोई भी बहिर्वाह केवल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और अन्य लागू अधिनियमों सहित किसी भी नियम, विनियम और किसी अन्य कानून के अनुसार ही किया जाएगा। जैसा कि समय-समय पर लागू हो सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा खाता जानकारी के अनधिकृत और अवैध उपयोग से आपको बचाने के लिए बैंक अपने एकल विवेक पर आपके द्वारा किए गए कुछ इंटरनेट लेनदेन को अस्वीकार कर सकता है।
2. इस सुविधा के उपयोग के लिए आपको एक विशिष्ट व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) भी दी जा सकती है। आप उक्त नंबर की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उक्त नंबर को किसी भी व्यक्ति के साथ साझा या प्रकट नहीं करेंगे।
3. आप सहमत हैं कि आप गेमिंग और अश्लीलता से जुड़ी वेबसाइटों पर जाने के लिए कार्ड/कार्ड नंबर का उपयोग नहीं करेंगे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित और अवैध घोषित किया गया है। ऐसा करने पर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है और बैंक इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

4. वेबसाइटों पर मौजूद सूचना सामग्री परिवर्तन के अधीन है। बैंक की वेबसाइट का अनधिकृत उपयोग, जिसमें बैंक के सिस्टम में प्रवेश करना, पासवर्ड का दुरुपयोग या वेबसाइट पर पोस्ट की गई किसी भी जानकारी का दुरुपयोग शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, सख्त वर्जित है। ऐसा करने पर आप सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और समय-समय पर लागू अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
5. बैंक द्वारा आपको इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने पर विचार करते हुए आप बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, लागतों, शुल्कों और खर्चों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति देंगे और इसके द्वारा बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे। या आपके द्वारा इस सुविधा का उपयोग करने के परिणामस्वरूप या उसके कारण पीड़ित हैं।
6. बैंक किसी भी उपयोगकर्ता की पहुंच को बिना कोई कारण बताए या बिना किसी नोटिस के समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### लौटाया गया भुगतान

यदि चेक, या कोई अन्य भुगतान साधन या कार्ड सदस्य द्वारा उसके कार्ड के बकाए के भुगतान के लिए दिए गए निर्देश का सम्मान नहीं किया जाता है, या कार्ड सदस्य को वापस किया जाना चाहिए क्योंकि इसे संसाधित नहीं किया जा सकता है, तो फेडरल बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कार्ड सदस्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करेगा और अपने विवेक पर शुल्क लगाएगा और/या अस्थायी/स्थायी रूप से कार्ड रद्द कर देगा। कार्ड सदस्य चेक रिटर्न शुल्क और देर से भुगतान शुल्क या फेडरल बैंक द्वारा तय किए गए किसी अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

#### वर्चुअल क्रेडिट कार्ड शर्तें

ये नियम और शर्तें ("शर्तें") फेडरल बैंक द्वारा दी जाने वाली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधाओं के प्रावधान पर लागू और विनियमित होती हैं। ये नियम और शर्तें फेडरल बैंक की क्रेडिट कार्ड सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों, फेडरल बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों और फेडरल बैंक के बचत खाते ("प्राथमिक") के लिए नियम और शर्तों के अतिरिक्त हैं और उनके निरादर में नहीं हैं। इन शर्तों और प्राथमिक शर्तों के बीच किसी भी असंगतता की सीमा तक, ये शर्तें मान्य होंगी। यहां उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो प्राथमिक शब्दों में दिया गया है।

. "खाते" का अर्थ फेडरल बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों और फेडरल बैंक के बचत खाते के नियमों और शर्तों के अर्थ के भीतर खाते की परिभाषा से होगा।

- . "वर्चुअल क्रेडिट कार्ड" का अर्थ प्राथमिक कार्ड सदस्य को उसके मौजूदा कार्ड खाते पर जारी किया गया एक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड होगा। यह ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड प्राथमिक कार्ड सदस्य के खाते/खातों के लॉग इन अनुभाग पर एक इलेक्ट्रॉनिक छवि के रूप में बनाया और संग्रहीत किया जाएगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भौतिक प्लास्टिक जारी नहीं किया जाएगा।
- . वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य" का अर्थ प्राथमिक कार्ड सदस्य है जिसे फेडरल बैंक द्वारा प्राथमिक नियमों और शर्तों के अधीन वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है।
- . वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने और सहमत होने पर, प्राथमिक कार्ड सदस्य को नीचे उल्लिखित शर्तों से सहमत और स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।
- . प्राथमिक कार्ड सदस्य को डिफॉल्ट रूप से एक वर्चुअल कार्ड जारी किया जाएगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य को उसकी पसंद की क्रेडिट सीमा के भीतर ऑनलाइन लेनदेन करने में सक्षम बनाता है, हालांकि, किसी भी परिस्थिति में उसके क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा से अधिक नहीं।
- . वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके की गई खरीदारी का विवरण स्टेटमेंट में प्रदर्शित किया जाएगा और प्राथमिक कार्ड सदस्य को कोई अलग विवरण नहीं भेजा जाएगा। प्राथमिक कार्ड सदस्य को फिजिकल कार्ड और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए गए खर्च के लिए एक ही भुगतान करना होगा।
- . वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के मुख्य विवरण जैसे कार्ड नंबर, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की समाप्ति तिथि, सीवीवी आदि केवल खाते के लॉग इन अनुभाग में उपलब्ध वर्चुअल क्रेडिट कार्ड अनुभाग पर दिखाई देंगे। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट सीमा प्राथमिक कार्ड की तरह होगी। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग/ब्लॉकिंग खाते के लॉग इन सेक्शन में उपलब्ध वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेक्शन के तहत प्रासंगिक विकल्पों पर क्लिक करके की जा सकती है। यदि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य खाता बंद कर देता है, तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधा मौजूद रहेगी।
- . वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल ऑनलाइन लेनदेन तक ही सीमित रहेगा। कार्ड सदस्य को पता है कि ऑनलाइन लेनदेन के मामले में, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी के समय चार्ज स्लिप पर कार्ड सदस्य द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। तदनुसार, कार्ड सदस्य स्वीकार करता है कि, किसी भी कारण से ऐसी खरीदारी या शुल्क की प्रामाणिकता या वैधता के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में भी, कार्ड सदस्य फेडरल बैंक को सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा और किसी भी परिस्थिति में फेडरल बैंक को उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- . यदि कोई व्यापारी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने से इनकार करता है तो फेडरल बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सुविधा केवल वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य को ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से है और यह वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य द्वारा किए गए लेनदेन की गुणवत्ता, सुरक्षा या वैधता सुनिश्चित नहीं करती है।

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग इन नियमों और शर्तों की स्वीकृति के बराबर होगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य भुगतान के लिए इन शर्तों के तहत बाध्य/उत्तरदायी होगा और वह वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर देय सभी शुल्कों का भुगतान सुनिश्चित करेगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सुविधा, फेडरल बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क/दर पर एक विशेष सुविधा है।

### सुरक्षित क्रेडिट कार्ड शर्तें

1. ये नियम और शर्तें ("शर्तें") फेडरल बैंक द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षित क्रेडिट कार्ड पर लागू और विनियमित होती हैं और फेडरल बैंक की क्रेडिट कार्ड सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अतिरिक्त हैं और उनके निरादर में नहीं हैं। फेडरल बैंक की सावधि जमा को नियंत्रित करने वाली शर्तें ("प्राथमिक नियम और शर्तें") [www.federalbank.co.in](http://www.federalbank.co.in) पर उपलब्ध हैं। इन नियमों और प्राथमिक नियमों और शर्तों के बीच किसी भी असंगतता की सीमा तक, ये शर्तें प्रभावी होंगी। यहां उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो प्राथमिक नियमों और शर्तों के तहत निर्दिष्ट है।
2. "कार्डधारक" का अर्थ उस व्यक्ति से होगा जिसके पास फेडरल बैंक के पास सावधि जमा है/निहित है और वह फेडरल बैंक के सुरक्षित क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करता है और उसे यहां निर्दिष्ट प्राथमिक नियमों और शर्तों के अधीन सुरक्षित क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। "सुरक्षित क्रेडिट कार्ड" का अर्थ फेडरल बैंक द्वारा कार्डधारक को फेडरल बैंक में कार्डधारक द्वारा रखी गई सावधि जमा के प्रति जारी किया गया फेडरल बैंक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड होगा।
3. सुरक्षित क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए, कार्डधारक को फेडरल बैंक में न्यूनतम 25,000 रुपये (निवासी ग्राहकों के लिए) की सावधि जमा राशि बनाए रखना/रखना आवश्यक है। बैंक एनआर ग्राहकों के लिए सुरक्षित क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर रहा है।
4. सुरक्षित क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा सावधि जमा राशि का 80% होगी, न्यूनतम क्रेडिट सीमा रुपये के अधीन होगी। 20,000/- एवं अधिकतम रु. 10,00,000. उक्त क्रेडिट सीमा समय-समय पर फेडरल बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हो सकती है और फेडरल बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके और तरीके से कार्डधारक को सूचित किया जाएगा।
5. कार्डधारक को समय-समय पर फेडरल बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों के निष्पादन पर निर्दिष्ट तरीके से सावधि जमा जमा करने की आवश्यकता होगी। कार्डधारक को केवल फेडरल बैंक शाखा या ऐसे अन्य वैकल्पिक चैनल पर सावधि जमा जमा करने की आवश्यकता होगी जो समय-समय पर फेडरल बैंक द्वारा अपने विवेक पर तय और सूचित किया जाएगा। कार्डधारक/फेडरल बैंक द्वारा कार्ड रद्द करने की स्थिति में, सुरक्षित क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सावधि जमा सावधि जमा करते समय कार्डधारक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।

6. सुरक्षित क्रेडिट कार्ड जारी करने पर, फेडरल बैंक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड की समाप्ति तक, कार्डधारक द्वारा अर्जित ब्याज सहित, कार्डधारक द्वारा रखी गई सावधि जमा की पूरी राशि पर एक ग्रहणाधिकार चिह्नित करेगा। कार्डधारक/फेडरल बैंक द्वारा सुरक्षित क्रेडिट कार्ड की समाप्ति या बंद होने के साथ-साथ कार्डधारक द्वारा फेडरल बैंक को देय सभी बकाया शुल्क, शुल्क और किसी भी अन्य राशि का भुगतान होने तक सावधि जमा को समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. सुरक्षित क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध चिह्नित सावधि जमा ग्रहणाधिकार ऑटो-नवीनीकरण मोड पर होगा। सावधि जमा के स्वतः नवीनीकरण के समय लागू ब्याज की प्रचलित दर उक्त सावधि जमा खाते पर लागू होगी। सावधि जमा की अवधि में किसी भी मैनुअल परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. कार्डधारक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सावधि जमा से किसी भी हिस्से की निकासी नहीं कर पाएंगे।
9. यदि लागू हो तो ब्याज (योजना के आधार पर, ब्याज भुगतान के साथ नकद प्रमाणपत्र/एफडी) पर टीडीएस एकत्र किया जाएगा।
10. सावधि जमा को विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड सीमा के विरुद्ध ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित किया जाएगा। सावधि जमा पर कोई अन्य शुल्क/ऋण नहीं लिया जाएगा।
11. क्रेडिट कार्ड से ली गई सावधि जमा के बदले अग्रिम की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. यदि क्रेडिट कार्ड पर लगाए गए सावधि जमा के संबंध में बैंक को किसी वैधानिक, नियामक या जांच प्राधिकारी से कोई अनुलग्नक, आदेश या निर्देश प्राप्त होता है, जिससे बैंक के शुल्क/ग्रहणाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो बैंक, अपने विवेक पर, क्रेडिट कार्ड के वर्गीकरण को सुरक्षित से असुरक्षित में बदलें और/या क्रेडिट कार्ड खाते में आगे के संचालन को निलंबित करें और/या क्रेडिट कार्ड खाते में सभी बकाया/बकाया के तत्काल पुनर्भुगतान की मांग करें।
13. एचयूएफ, साझेदारी फर्मों, नाबालिगों द्वारा खोले गए/रखे गए या आवेदकों द्वारा संयुक्त रूप से खोले गए सावधि जमा सुरक्षित क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे। सावधि जमा सुविधा के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
14. सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार अंकित होने के बाद सुरक्षित क्रेडिट कार्ड सक्रिय हो जाएगा।
15. अनिवासी ग्राहक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।

16. किसी भी समय एक कार्डधारक को केवल एक ही सुरक्षित क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है।

17. बकाया राशि की वसूली के लिए लिंकड टर्म डिपॉजिट को बंद करना

a) यदि कार्डधारक के सिव्योर्ड क्रेडिट कार्ड खाते पर लगातार 30 दिनों की अवधि के लिए बकाया राशि बकाया है, तो बकाया राशि की वसूली के लिए सिव्योर्ड क्रेडिट कार्ड से लिंकड टर्म डिपॉजिट को 31वें दिन बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, कार्डधारक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से लिंकड टर्म डिपॉजिट के बंद होने के बारे में विधिवत सूचित किया जाएगा

b) लिंकड टर्म डिपॉजिट की पूरी राशि बकाया राशि का निपटान करने के लिए सिव्योर्ड क्रेडिट कार्ड खाते में जमा की जाएगी, भले ही कार्डधारक द्वारा देय वास्तविक बकाया राशि कुछ भी हो।

18. लिंकड टर्म डिपॉजिट से अधिशेष राशि की वापसी

a) बकाया राशि के समायोजन के बाद सुरक्षित क्रेडिट कार्ड खाते में बची हुई कोई भी अधिशेष राशि कार्डधारक के ऑपरेटिव खाते में वापस कर दी जाएगी। अगले महीने के सुरक्षित क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होने की तिथि से दो (2) व्यावसायिक दिनों के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

b) उप-खंड (a) के बावजूद, कार्डधारक अगले महीने के सुरक्षित क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होने से पहले अधिशेष राशि की वापसी का अनुरोध कर सकता है। इस तरह के अनुरोध को बैंक द्वारा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से तीन (3) व्यावसायिक दिनों के भीतर संसाधित किया जाएगा।

c) कार्डधारक रिफंड का अनुरोध करने के लिए निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से बैंक से संपर्क कर सकता है:

- शाखा

- आईवीआर

19. अधिशेष राशि पर कोई ब्याज नहीं: बैंक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड खाते में जमा अधिशेष राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा, भले ही अधिशेष राशि खाते में कितनी भी अवधि तक रही हो।

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| एस्ट्यूट कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | क्षेत्र जांच | आपका पीआईआई डेटा क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए फील्ड जांच करने हेतु मेसर्स एस्ट्यूट कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझा किया जाएगा। |
|--|--------------|--|

#### खोए हुए या चोरी हुए कार्ड

1. कार्ड खो जाने, चोरी हो जाने, प्राप्त न होने या आपकी अनुमति के बिना उपयोग किए जाने की स्थिति में आपको तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। ऐसे नुकसान/चोरी आदि के मामले में आपको पुलिस शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के तुरंत बाद बैंक को ऐसे नुकसान/चोरी आदि के बारे में लिखित रूप से सूचित करना चाहिए, जिसकी एक प्रति बैंक को नोटिस के साथ देनी होगी।
2. लिखित सूचना लंबित रहने तक, आप ऐसे नुकसान/चोरी आदि के बारे में बैंक को टेलीफोन पर भी सूचित कर सकते हैं। बैंक पर्याप्त सत्यापन के बाद कार्ड खाते को अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा, लेकिन आपको और इस खाते को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बैंक को नोटिस/संचार से पहले क्रेडिट कार्ड के किसी भी अनधिकृत उपयोग से उत्पन्न आपकी देनदारी, बैंक को नोटिस/संचार तक किए गए सभी शुल्कों के लिए होगी और बैंक द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद ही शून्य होगी।
4. अहस्ताक्षरित कार्ड के मामले में आप उस पर लगने वाले सभी शुल्कों के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. आप कार्ड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे और कार्ड के किसी भी दुरुपयोग के लिए बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। यदि बैंक यह निर्धारित करता है कि कदम संदिग्ध हैं, तो खोए हुए या चोरी हुए कार्ड पर वित्तीय दायित्व आप पर होगा और इसके परिणामस्वरूप कार्ड खाता रद्द भी किया जा सकता है।
6. किसी भी विवादित लेनदेन की जांच की स्थिति में आप बैंक, बैंक के प्रतिनिधि और/या कानूनी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे।
7. यदि आप बाद में कार्ड पुनर्प्राप्त करते हैं तो पुनर्प्राप्त कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और चुंबकीय पट्टी के माध्यम से आधा काट दिया जाना चाहिए और तुरंत बैंक को वापस कर दिया जाना चाहिए।

## संग्रह

फ़ेडरल बैंक, कार्ड सदस्य के एकमात्र जोखिम और लागत पर, कार्ड सदस्य की बकाया राशि एकत्र करने और/या कार्ड सदस्य द्वारा प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा को लागू करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को संलग्न करने का हकदार होगा, और फ़ेडरल बैंक (ऐसे उद्देश्यों के लिए) ऐसे व्यक्ति(व्यक्तियों) को कार्ड सदस्य और सुरक्षा से संबंधित ऐसी जानकारी, तथ्य और आंकड़े दे सकता है, जैसा फ़ेडरल बैंक उचित समझे। फ़ेडरल बैंक ऐसे व्यक्ति(यों) को सभी कृत्यों, कर्मों, मामलों और उससे जुड़ी या उससे जुड़ी चीज़ों को करने और निष्पादित करने का अधिकार और अधिकार भी सौंप सकता है, जैसा फ़ेडरल बैंक उचित समझे।

## वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता

फ़ेडरल बैंक, किसी भी तरह से, कार्ड सदस्य द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों से खरीदे गए या प्राप्त किए गए माल, व्यापारिक वारंटी या सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसमें डिलीवरी में देरी, गैर-डिलीवरी, माल की गैर-प्राप्ति या कार्ड सदस्य द्वारा दोषपूर्ण सामान की प्राप्ति। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से कार्ड सदस्य के लिए सामान खरीदने और/या सेवाओं का लाभ उठाने की एक सुविधा है, फ़ेडरल बैंक कोई वारंटी नहीं देता है या माल की गुणवत्ता, वितरण या अन्यथा के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। माल के संबंध में किसी भी विवाद या दावे को कार्ड सदस्य द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठान के



साथ हल किया जाना चाहिए। दावे या विवाद के अस्तित्व से कार्ड सदस्य को फेडरल बैंक को सभी शुल्कों का भुगतान करने के दायित्व से राहत नहीं मिलेगी और कार्ड सदस्य ऐसे शुल्कों का तुरंत भुगतान करने के लिए सहमत है।

### तृतीय पक्ष/सेवा प्रदाता की नियुक्ति

1. बैंक अपने विवेक से फोन पर या किसी अन्य माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए तीसरे पक्ष/सेवा प्रदाताओं को नियुक्त कर सकता है। बैंक कुछ गतिविधियों के संचालन के लिए तीसरे पक्ष/सेवा प्रदाताओं को भी नियुक्त कर सकता है, जैसे कि संदर्भ जांच, क्रेडिट ब्यूरो के माध्यम से सत्यापन, क्रेडिट सत्यापन, कार्ड पर किसी भी बकाया की वसूली या सभी बकाया राशियों की वसूली के लिए कानून द्वारा अनुमत कोई भी कार्रवाई शुरू करना। बैंक का बकाया वसूली के लिए ऐसे तीसरे पक्ष/सेवा प्रदाता को किए गए सभी भुगतान बकाया राशि/राशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के अलावा आपकी लागत और जोखिम पर होंगे।

2. यदि मामले को किसी एजेंट को संदर्भित करना आवश्यक हो या जहां भुगतान के प्रवर्तन के लिए कानूनी संसाधन लिया गया हो, तो बकाया राशि की वसूली और ब्याज सहित कानूनी खर्चों से जुड़ी सभी लागतों के लिए आप उत्तरदायी होंगे।

### क्रेडिट कार्ड पुनः जारी करना और बदलना

यदि आपका कार्ड खराब हो जाता है/क्षतिग्रस्त हो जाता है, विकृत हो जाता है, खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप बैंक के किसी भी कार्ड डिवीज़न सेंटर से कार्ड बदलने के लिए कह सकते हैं। ऐसे सभी प्रतिस्थापन कार्ड प्रतिस्थापन के समय प्रचलित ऐसे शुल्कों के भुगतान पर बैंक के विवेक पर जारी किए जाएंगे। क्षतिग्रस्त कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और चुंबकीय पट्टी के माध्यम से आधा काट दिया जाना चाहिए और तुरंत बैंक को वापस कर दिया जाना चाहिए।

### पता और टेलीफोन नंबर का परिवर्तन

आपको अपने पते और/या टेलीफोन नंबर में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पते पर या नामित ग्राहक सेवा केंद्र पर लिखित या टेलीफोन पर सूचित करना होगा।

## समापन

1. कार्ड सदस्य द्वारा: आप किसी भी समय खाते पर उपयोग के लिए जारी किए गए सभी कार्ड हमें लौटाकर, कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाओं और लाभों को समाप्त करने के लिखित अनुरोध के साथ आधे भाग में काटकर इस समझौते को समाप्त कर सकते हैं। समाप्ति तभी प्रभावी होगी जब हमें अतिरिक्त कार्ड सहित सभी कार्ड प्राप्त होंगे और कार्ड खाते के संबंध में बकाया सभी राशियों का भुगतान होगा। आप बैंक को लिखित रूप से सूचित करके अतिरिक्त कार्ड का उपयोग रद्द कर सकते हैं लेकिन अतिरिक्त कार्ड के उपयोग पर लगने वाले सभी शुल्कों के लिए आप उत्तरदायी रहेंगे। कोई भी वार्षिक शुल्क या अन्य शुल्क आनुपातिक आधार पर वापस नहीं किया जाएगा। आप फेडमोबाइल, फेडनेट या बैंक के संपर्क केंद्र के माध्यम से भी क्रेडिट कार्ड रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं।

2. बैंक द्वारा: बैंक अपने विवेक से किसी भी समय इस समझौते को तुरंत समाप्त कर सकता है, कार्ड सदस्य द्वारा बिना कारण या कारण बताए और बिना किसी नोटिस के क्रेडिट कार्ड के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकता है। जहां बैंक समझौते को समाप्त करता है, कार्ड खाते पर बकाया सभी राशियां (शुल्क या अभी तक डेबिट नहीं किए गए नकद अग्रिम सहित) तुरंत देय हो जाएंगी। बैंक रद्द किए गए क्रेडिट कार्ड के बारे में व्यापारी प्रतिष्ठान को सूचित कर सकता है। यदि क्रेडिट कार्ड रद्द कर दिया गया है, तो आपको इसे चुंबकीय पट्टी के माध्यम से दो हिस्सों में काटना होगा और दोनों हिस्सों को तुरंत बैंक को वापस करना होगा। कोई भी वार्षिक शुल्क या अन्य शुल्क आनुपातिक आधार पर वापस नहीं किया जाएगा।

3. यदि आप रोजगार/पेशा या पता बदलते हैं या अपनी वर्तमान पोस्टिंग से स्थानांतरित हो जाते हैं या अपना वेतन खाता/मुख्य बैंक खाता आदि बदलते हैं, तो बैंक को अपने विवेक से क्रेडिट कार्ड सुविधा बंद करने का अधिकार होगा।

4. निम्नलिखित में से एक या अधिक घटनाओं का घटित होना चूक यानी डिफॉल्ट की घटना मानी जाएगी और बैंक अपने विवेक से क्रेडिट कार्ड सुविधा वापस ले सकता है। डिफॉल्ट की घटनाएँ इस प्रकार हैं:

§ आप निर्धारित अवधि के भीतर बैंक को देय किसी भी राशि का भुगतान करने में लगातार विफल रहते हैं।

§ आप इन नियमों और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं।

§ बैंक को दिया गया कोई भी चेक और/या ईसीएस/स्थायी निर्देश प्रस्तुतिकरण/प्रस्तुत किए जाने पर किसी भी कारण से भुनाया नहीं जाएगा/उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

§ आपके द्वारा किया गया कोई भी रिप्रेजेंटेशन गलत, झूठा या अधूरा साबित होता है, जिसमें बैंक को भेजे गए आय और/या पहचान पत्र/दस्तावेज़ शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, गलत साबित होता है, अधूरा है और/या गलत/धोखाधड़ी वाली जानकारी शामिल है।

5. आप विशेष रूप से स्वीकार करते हैं कि एक बार कार्ड खाता रद्द/बंद हो जाता है और क्रेडिट कार्ड के विशेषाधिकार (सभी लाभों और सेवाओं सहित) वापस ले लिए जाते हैं, तो इसकी बहाली स्वचालित नहीं है और यह पूरी तरह से बैंक के विवेक पर होगा।

6. कार्ड रद्द करने पर, आप:

§ कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए, कार्ड को चुंबकीय पट्टी के माध्यम से दो हिस्सों में काट लें और उसे बैंक को वापस कर दें।

§ चुंबकीय पट्टी के माध्यम से दो हिस्सों में कटे हुए कार्ड को बैंक में वापस लौटाए जाने तक शुल्क के भुगतान सहित कार्ड के किसी भी उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं

§ उपयोग की शर्तों के अनुसार बैंक को भुगतान करना जारी रखना चाहिए।

किसी बिलिंग चक्र के लिए ब्याज/वित्त शुल्क, यदि कोई लागू हो, अगले बिलिंग चक्र पर लगाया/भुगतान किया जाएगा और कार्ड सदस्यता की समाप्ति/निरस्त किए जाने के बावजूद कार्ड सदस्य इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

### दायित्व का बहिष्कार

उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के संबंध में बैंक आपके प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा:

1. आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु या सेवा में कोई खराबी
2. किसी व्यक्ति द्वारा कार्ड का सम्मान करने या स्वीकार करने से इंकार करना
3. किसी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल की खराबी
4. आपके द्वारा लेन-देन के अलावा अन्य निर्देश देना
5. कार्ड वापस करने का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई बयान या किसी व्यक्ति द्वारा मिलकर किया गया कोई कार्य
6. आपके द्वारा बैंक परिसर में बैंक के नामित कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य को कार्ड सौंपना
7. कार्ड की समाप्ति तिथि से पहले कार्ड को सरेंडर करने की मांग करने और प्राप्त करने के अपने अधिकार का बैंक द्वारा प्रयोग, चाहे ऐसी मांग और सरेंडर बैंक द्वारा या किसी व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा की गई हो और/या प्राप्त की गई हो।
8. बैंक द्वारा किसी भी कार्ड या कार्ड खाते को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग

9. आपके क्रेडिट, चरित्र और प्रतिष्ठा को कोई भी चोट, जो कथित तौर पर कार्ड के दोबारा कब्जे और/या इसकी वापसी के लिए किसी अनुरोध या किसी सेवा प्रतिष्ठान/मेल ऑर्डर प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड का सम्मान करने या स्वीकार करने से इनकार करने के कारण हुई हो।

10. बैंक द्वारा बताए गए किसी भी विवरण में कोई गलत बयानी, गलत बयानी, त्रुटि या चूक। यदि बैंक या बैंक की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आपसे बकाया राशि के निपटान की मांग या दावा किया जाता है, तो आप सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि ऐसी मांग या दावा मानहानि का कार्य नहीं माना जाएगा या किसी भी तरह से आपके चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या उसे प्रतिबिंबित करने वाला कार्य।

### चूक यानी डिफ़ॉल्ट

1. आप स्वीकार करते हैं कि कार्ड सदस्य समझौते के तहत दायित्वों के निर्वहन में किसी भी चूक पर बैंक को उक्त समझौते के तहत किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

2. आप बैंक द्वारा आपको प्रदान की गई किसी अन्य क्रेडिट सुविधा के संबंध में डिफ़ॉल्ट की स्थिति में कार्ड सुविधा समाप्त करने के बैंक के अधिकार को स्वीकार करते हैं और इसके विपरीत भी।

3. आप स्वीकार करते हैं कि 30 दिनों से अधिक समय तक देय बिलों का भुगतान न करने पर, कार्ड सदस्य समझौते के तहत बैंक को लेनदेन को ब्लॉक करने का अधिकार होगा।

4. मानक से नीचे/संदिग्ध/हानि वाले एनपीए में वर्गीकरण को बैंक के साथ समग्र एक्सपोजर में संयुक्त सुरक्षा विभाजन और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट उम्र बढ़ने के नियमों के आधार पर नियंत्रित किया जाएगा।

### उल्लंघन एवं समाप्ति/वापसी

1. उल्लंघन: किसी भी कार्ड सदस्य द्वारा इनमें से किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में; (i) इन नियमों और शर्तों के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, कार्ड सदस्य ऐसे उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी रहेगा; और (ii) कार्ड सदस्य, मांग किए जाने पर फेडरल बैंक को कार्ड सदस्य से फेडरल बैंक को बकाया सभी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसी मांग की तिथि पर फेडरल बैंक को देय हो या नहीं।

2. समाप्ति/निकासी: ग्राहक कार्ड बंद करने के लिए फेडनेट/फेडमोबाइल, या शाखाओं में लिखित दस्तावेज़ या संपर्क केंद्र के माध्यम से मौखिक सत्यापन या ईमेल के माध्यम से अनुरोध कर सकता है। इसके लिए ईमेल आईडी है-creditcards@federalbank.co.in

ए। उपरोक्त नोटिस तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कार्ड को ऊपरी दाएं कोने को काटकर विकृत नहीं कर दिया जाता है, यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि होलोग्राम और चुंबकीय पट्टी दोनों को काट दिया गया है और फेडरल बैंक द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उपरोक्त के अनुसार, न तो कार्ड खाता और न ही कोई कार्ड समाप्त किया जा सकता है।

बी। यदि कार्ड सदस्य द्वारा कार्ड को नष्ट करने का दावा करने के बाद कार्ड पर शुल्क लगाया जाता है, लेकिन कार्ड फेडरल बैंक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, तो कार्ड सदस्य कार्ड पर लगने वाले शुल्क के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा, चाहे वह हो या नहीं। दुरुपयोग का परिणाम भी यही है और फेडरल बैंक को कार्ड के नष्ट होने के बारे में सूचित किया गया है या नहीं।

सी। फेडरल बैंक किसी भी समय, बिना किसी सूचना के या बिना किसी सूचना के, बैंक के पूर्ण विवेक के अनुसार, कार्ड खाते और कार्ड को समाप्त कर सकता है। कार्ड सदस्य स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि यदि कार्ड सदस्य के पास फेडरल बैंक के साथ दो या अधिक कार्ड खाते हैं, जो इन नियमों और शर्तों के तहत शासित होते हैं और कार्ड खाते में से किसी एक के तहत फेडरल बैंक को भुगतान करने में चूक करते हैं, तो फेडरल बैंक फेडरल बैंक के अन्य सभी क्रेडिट कार्ड खातों के तहत कार्ड सदस्य को उपलब्ध कराई गई क्रेडिट सीमा को ब्लॉक करने के साथ-साथ ऐसे सभी कार्ड खातों के तहत उपलब्ध कराए गए विशेषाधिकारों/लाभों को वापस लेने के लिए अधिकृत है, जब तक कि कार्ड डिफॉल्ट न हो जाए। कार्ड सदस्य द्वारा खाता नियमित किया जाता है। कार्ड सदस्य भी सहमत है और स्वीकार करता है कि फेडरल बैंक को उपरोक्त के लिए कोई अतिरिक्त नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी।

डी। कार्ड खाते की समाप्ति पर और इसके विपरीत फेडरल बैंक और कार्ड सदस्य के बीच किसी पूर्व समझौते के बावजूद: (ए) सभी बकाया शुल्कों का कुल योग, चाहे पहले से ही विवरण में दर्शाया गया हो या नहीं, और (बी) राशि समाप्ति के बाद लगाए गए किसी भी स्वैच्छिक शुल्क (प्रासंगिक लेनदेन निर्देश की तारीख से प्रभावी), कार्ड सदस्य द्वारा तुरंत देय और भुगतान योग्य हो जाएगा जैसे कि वे इस प्रकार दर्शाए गए थे, और ऐसे शुल्क लगाए जाने की तारीख से उस पर ब्याज अर्जित होगा, जैसा कि समय-समय पर लागू होता है।

ई। फेडरल बैंक, अपने विवेक पर, अस्थायी या स्थायी रूप से, कार्ड पर विशेषाधिकार वापस लेने और/या बिना कोई नोटिस दिए या कोई कारण बताए किसी भी समय कार्ड रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अस्थायी निकासी के मामले में, फेडरल बैंक द्वारा अपने विवेक पर विशेषाधिकारों को बहाल किया जा सकता है। स्थायी निकासी के मामले में, फेडरल बैंक को कार्ड सदस्य को स्थायी रूप से सदस्यता देने से इनकार करने का अधिकार है। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि निकासी (अस्थायी या स्थायी) कार्ड से जुड़े सभी सहायक लाभों, विशेषाधिकारों और सेवाओं की स्वतः वापसी होगी। ऐसी अस्थायी या स्थायी निकासी की स्थिति में, कार्ड सदस्य ऐसी निकासी से पहले कार्ड पर किए गए सभी शुल्कों के साथ-साथ उस पर लागू अन्य सभी शुल्कों के लिए पूरी तरह

उत्तरदायी रहेगा, जब तक कि फेडरल बैंक द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। कार्ड पर अंकित वैधता अवधि के संदर्भ के बिना किसी भी समय कार्ड वापस लिया जा सकता है और कार्ड खाता बंद किया जा सकता है। अनुरोध किए जाने पर कार्ड सदस्य फेडरल बैंक या उसके प्रतिनिधि को कार्ड सरेंडर करने के लिए सहमत होता है। कार्ड के विशेषाधिकार वापस लेने की सूचना के बाद उसका उपयोग धोखाधड़ीपूर्ण है और कार्ड सदस्य पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

## नोटिस

इन नियमों और शर्तों के तहत या कार्ड सदस्य से देय सभी राशियों सहित सभी नोटिस या अन्य संचार फेडरल बैंक लिमिटेड पैराकल टावर्स, पारूर जंक्शन, थोटाक्कटुकारा, अलुवा, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, केरल, 683 102 को लिखित रूप में दिए जाएंगे। , भारत और, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, पत्र द्वारा किया जा सकता है। ऐसा कोई भी नोटिस या अन्य संचार प्रभावी माना जाएगा: (i) यदि पत्र द्वारा भेजा गया हो, जब व्यक्तिगत रूप से वितरित किया गया हो या यदि डाक द्वारा भेजा गया हो, जब पत्र वापस लेना प्रेषक के नियंत्रण से बाहर हो; और (ii) यदि प्रतिकृति द्वारा भेजा जाता है, जब भेजा जाता है (सही प्रतिकृति संख्या की पुष्टि प्राप्त होने पर)। हालांकि, फेडरल बैंक को कोई भी नोटिस या संचार तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वास्तव में संघीय बैंक द्वारा प्राप्त और स्वीकृत न हो जाए। नोटिस या संचार निम्न को किया जा सकता है: (i) कार्ड सदस्य का पता या प्रतिकृति संख्या जैसा कि दर्ज किया गया है

फ़ेडरल बैंक के रिकॉर्ड और जिन्हें नोटिस/संचार भेजा जाना है (जैसा कि इसमें निर्दिष्ट है)।

आवेदन पत्र), और (ii) फेडरल बैंक का जोनल/क्षेत्रीय/शाखा/कार्यालय का पता या प्रतिकृति संख्या (जैसा कि आवेदन पत्र में निर्दिष्ट है), या ऐसे अन्य पते या प्रतिकृति संख्या को, जो कार्ड सदस्य और संघीय द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। एक-दूसरे को लिखित में बैंक दें। कार्ड सदस्य द्वारा अपने संपर्क पते या विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में फेडरल बैंक को लिखित रूप में सूचित करने में विफलता की स्थिति में, आवेदन पत्र में निर्दिष्ट पते पर या कार्ड सदस्य द्वारा दिए गए अंतिम पते पर नोटिस/पत्राचार भेजा जाएगा। कार्ड सदस्य के लिए उचित और पर्याप्त सेवा मानी जाएगी, भले ही ऐसा नोटिस फेडरल बैंक को "बिना तामील" लौटाया जाएगा या नहीं। कार्ड सदस्य के निवास या कार्य क्षेत्र में उपलब्ध समाचार पत्र में प्रकाशित एक सूचना, उसके प्रकाशन की तारीख से कार्ड सदस्य के लिए पर्याप्त सूचना होगी; हालांकि, किसी समाचार पत्र में दिया गया नोटिस फ़ेडरल बैंक के विरुद्ध तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक फ़ेडरल बैंक द्वारा इसकी पुष्टि न कर दी जाए।

मास्टरकार्ड वर्ल्डवाइड/वीज़ा इंटरनेशनल/रुपे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

1. वीज़ा इंटरनेशनल/मास्टरकार्ड वर्ल्डवाइड/रुपे द्वारा आपको कुछ आपातकालीन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ऐसी सेवाएँ वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे द्वारा तीसरे पक्ष के एजेंटों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आप वीआईएसए इंटरनेशनल/मास्टरकार्ड वर्ल्डवाइड/रुपे द्वारा/के माध्यम से प्रदान की गई ऐसी आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठाने में होने वाली लागत के लिए जिम्मेदार हैं।

2. वीज़ा इंटरनेशनल/मास्टरकार्ड वर्ल्डवाइड/रुपे के माध्यम से सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

3. भारत या दुनिया में कहीं भी बैंक वीज़ा इंटरनेशनल / मास्टरकार्ड वर्ल्डवाइड / रुपे के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की व्यवस्था या उपयोग के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

### खुलासा

फ़ेडरल बैंक आरबीआई द्वारा अधिकृत क्रेडिट ब्यूरो के साथ गठजोड़ कर सकता है और आपके वर्तमान शेष, भुगतान इतिहास, जनसांख्यिकीय विवरण आदि सहित क्रेडिट जानकारी साझा करेगा, ऐसी जानकारी क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के संदर्भ में प्रदान की जा रही है। क्रेडिट ब्यूरो इस संबंध में कोई राय, संकेत या टिप्पणी नहीं देता है कि क्रेडिट दिया जाना चाहिए या नहीं। समय पर आवश्यक बकाया राशि का भुगतान करके एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाए रखना आपके हित में है। क्रेडिट ब्यूरो की स्थापना के साथ, जिम्मेदार ग्राहक क्रेडिट अनुदानकर्ताओं से बेहतर शर्तों पर तेज और अधिक प्रतिस्पर्धी सेवाओं की उम्मीद कर सकते हैं। ग्राहकों द्वारा की गई चूक क्रेडिट ब्यूरो के पास उपलब्ध होगी, जो बदले में भविष्य की क्रेडिट आवश्यकताओं के लिए आपकी क्रेडिट योग्यता को प्रभावित करेगी। फ़ेडरल बैंक मासिक आधार पर या बैंक और क्रेडिट ब्यूरो के बीच सहमति के अनुसार किसी अन्य समय अवधि पर ग्राहक जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करेगा। फ़ेडरल बैंक को सूचित किए गए किसी भी बिलिंग विवाद के मामले में, बैंक विवाद का समाधान होने तक क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्टिंग निलंबित कर देगा। कार्ड सदस्य स्वीकार करता है कि फ़ेडरल बैंक कार्ड सदस्य/एड-ऑन कार्ड सदस्य(सदस्यों) से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत है, जिसमें कार्डधारक द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में किए गए किसी भी डिफ़ॉल्ट से संबंधित जानकारी भी शामिल है, जैसा फ़ेडरल बैंक उचित समझे। और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी मौजूदा या आगे के क्रेडिट ब्यूरो के साथ आवश्यक है। तदनुसार, कार्डधारक सहमति देता है और ऐसे क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी का खुलासा करने के लिए एड-ऑन कार्ड सदस्य(सदस्यों) से सहमति प्राप्त करने की पुष्टि करता है। ऐसी संस्थाएं बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं की संसाधित जानकारी या डेटा या उसके उत्पाद उपलब्ध करा सकती हैं। क्रेडिट ब्यूरो में क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट संदर्भ एजेंसियां, क्रेडिट सूचना कंपनियां या उधारकर्ताओं से संबंधित क्रेडिट जानकारी एकत्र करने, एकत्र करने और प्रसारित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा गठित और अधिकृत कोई अन्य इकाई शामिल है।

1. आप इसके द्वारा बैंक को क्रेडिट सत्यापन या संदर्भ जांच, कार्ड ऑन-बोर्डिंग, जारी करने, उसके हितों की सुरक्षा आदि के प्रयोजनों के लिए आपसे/इस अनुबंध और/या किसी से संबंधित सभी/किसी भी जानकारी/दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत करते हैं। अन्य बैंकों, क्रेडिट ब्यूरो और वित्तीय संस्थानों, अन्य तृतीय पक्षों आदि के साथ अन्य समझौता।

2. आप इसके द्वारा बैंक या उसके प्रतिनिधियों को किसी भी अन्य आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने और/या सत्यापित करने के लिए अपने नियोक्ता, बैंकर या किसी अन्य स्रोत से संपर्क करने के लिए अधिकृत करते हैं।

3. आप बैंक को मांग होने पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), आयकर अधिकारियों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों या किसी अन्य सरकार या नियामक प्राधिकरणों/निकायों/विभागों को ऐसी जानकारी का खुलासा करने के लिए अधिकृत करते हैं। यदि आप भुगतान में चूक करते हैं या और इस समझौते की शर्तों और नियमों के अनुपालन में चूक करते हैं तो आप बैंक को बैंकों, वित्तीय संस्थानों, क्रेडिट ब्यूरो/एजेंसियों, डेटा बैंकों, संग्रह एजेंसी जैसे तीसरे पक्षों सहित उपरोक्त अधिकारियों को अपना नाम सत्यापित करने, साझा करने और/या प्रकट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

4. आप इसके द्वारा फेडरल बैंक लिमिटेड को आपकी नवीनतम व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी ("पीआईआई") प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय/प्राधिकृत सूचना ब्यूरो जैसे सीईआरएसएआई/सीआईबीआईएल या किसी से पैन कार्ड नंबर सहित पूछताछ करने के लिए अधिकृत और सहमति देते हैं। ऐसी कंपनियां, आपके पीआईआई डेटा को अद्यतन रखने के लिए बिना किसी सहमति के बैंक के रिकॉर्ड में ऐसे पीआईआई डेटा को निरंतर आधार पर अपडेट करती हैं, जिससे बैंक को उपयुक्त सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।

5. आप बैंक को क्रॉस सेलिंग के उद्देश्य से क्रेडिट कार्ड खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी और किसी अन्य मार्केटिंग एजेंट/एजेंट और/या ठेकेदारों का खुलासा करने के लिए भी अधिकृत करते हैं जिनके साथ बैंक प्रवेश करता है, या संबंध में किसी भी व्यवस्था में प्रवेश किया है। बिना किसी सीमा के, विभिन्न वित्तीय उत्पादों की क्रॉस सेलिंग सहित सेवाएं/उत्पाद प्रदान करना

6. आप आगे स्वीकार करते हैं कि यदि निर्देशित/आवश्यक हुआ तो बैंक किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ को ऐसी सभी जानकारी/दस्तावेज आदि का खुलासा करने का भी हकदार होगा।

7. प्रतिकूल रिपोर्ट (आपकी क्रेडिट योग्यता या आपके परिवार के सदस्यों से संबंधित) प्राप्त होने पर, बैंक कार्ड को रद्द कर सकता है, जिसके बाद कार्ड खाते में संपूर्ण बकाया राशि के साथ-साथ कार्ड के उपयोग से होने वाले किसी भी अन्य शुल्क को रद्द कर दिया जाएगा, हालांकि अभी तक कार्ड खाते में नहीं भेजा गया बिल तुरंत आपके द्वारा देय और देय हो जाएगा। बैंक उस बैंक, संस्थान या निकाय के नाम का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है जहां से उसे आपके बारे में ऐसी जानकारी मिली है।

8. आप उपरोक्त जानकारी के संबंध में निजता, गोपनीयता और गोपनीयता के विशेषाधिकार को विशेष रूप से त्याग देते हैं।

असाइनमेंट/प्रतिभूतीकरण

आप स्पष्ट रूप से मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि बैंक किसी भी तरीके से (परक्राम्य लिखत के आहरण के माध्यम से या अन्यथा) पूरी तरह से या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों पर जो बैंक तय कर सकता है (आरक्षण सहित) बेचने, सौंपने या हस्तांतरित करने का पूरी तरह से हकदार होगा। किसी भी खरीद, समनुदेशिती



या अंतरिती की ओर से आपके खिलाफ बैंक की पसंद के किसी भी तीसरे पक्ष को आपके बकाया और देय राशि के संदर्भ में या बैंक द्वारा आपको लिखित सूचना दिए बिना आगे बढ़ने का बैंक को अधिकार है और ऐसा कोई भी समनुदेशन या हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। आप ऐसे तीसरे पक्ष को विशेष रूप से ऋणदाता के रूप में या बैंक के साथ संयुक्त ऋणदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन बैंक को ऐसे तीसरे पक्ष की ओर से सभी शक्तियों का प्रयोग जारी रखने और ऐसे बकाया और देय राशि का भुगतान करने का अधिकार है। तीसरे पक्ष को या उसे विनियोजित करने के लिए, जैसा कि बैंक निर्णय ले सकता है। अपने अधिकारों को लागू करने और बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा की गई कोई भी लागत आपके खाते से डेबिट की जाएगी।

## मिश्रित

1. जहां बैंक कार्ड के संबंध में किसी भी मामले के संबंध में आपके किसी मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश या पूछताछ के जवाब में अच्छे विश्वास पर कार्य करता है, तो आप किसी भी नुकसान, क्षति, दायित्व, व्यय आदि का दावा करने या आरोप लगाने के हकदार नहीं होंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक की ऐसी किसी भी सद्भावना कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है और आप उसके संबंध में बैंक को हानिरहित रखने के लिए सहमत हैं,
2. इस कार्ड सदस्य अनुबंध के तहत आपकी देनदारियों से तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक कि कार्ड खाते पर बकाया पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता।
3. किसी कॉर्पोरेट निकाय के दिवालियेपन, ऋणशोधन अक्षमता, विघटन या समापन पर कार्ड खाते पर लगाए गए किसी भी शुल्क की राशि के साथ, लेकिन अभी तक कार्ड खाते पर नहीं लगाया गया कुल बकाया तुरंत देय हो जाएगा और बैंक को पूर्ण रूप से देय होगा। कार्ड सदस्य की मृत्यु या प्राथमिक कार्ड सदस्य की मृत्यु। प्राथमिक कार्ड सदस्य की संपत्ति कार्ड खाते पर किसी भी बकाया की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगी और इस तरह के बकाया की वसूली में किए गए कानूनी शुल्क और खर्चों सहित सभी लागतों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। ऐसे पुनर्भुगतान के लंबित रहने तक, बैंक अपनी प्रचलित दर पर वित्त शुल्क लगाना जारी रखने का हकदार होगा।
4. किसी भी सरकारी/नियामक निकाय के निर्देश पर कार्ड खाता निलंबित भी किया जा सकता है। जैसा भी मामला हो, कार्ड पर बकाया सभी राशि सरकार/नियामक निकायों के निर्देशों पर तुरंत देय मानी जाएगी, और बैंक आपके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संबंधित कानूनों के अनुसार इसे वसूल करने का हकदार होगा और आप समस्त बकाया राशि का तत्काल भुगतान करें।
5. बैंक समय-समय पर इनमें से सभी या किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने और/या संशोधित करने का हकदार होगा, जो आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। आप ऐसे संशोधनों से बंधे रहेंगे जब तक कि कार्ड खाते में सभी बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है और कार्ड रद्द करने के लिए बैंक को वापस नहीं किया जाता है या किसी भी संशोधन के प्रभावी होने की तारीख से पहले आधा काट दिया जाता है।
6. बैंक अपने विवेक से इन नियमों और शर्तों के तहत आपके लिए उपलब्ध कोई भी नई सुविधा या सुविधा वापस ले लेगा।

7. मुद्रण के समय सभी प्रकाशित जानकारी सही और पूर्ण है। मुद्रण के बाद होने वाले परिवर्तनों की जिम्मेदारी बैंक नहीं ले सकता।

मुजरा यानी सेट ऑफ करने का अधिकार/बैंकर का ग्रहणाधिकार

किसी भी कारण से इस अनुबंध में दिए गए अनुसार आपके क्रेडिट कार्ड के बकाया का निपटान करने में देरी या असमर्थ होने की स्थिति में, बैंक सामान्य ग्रहणाधिकार के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और/या संपत्ति या परिसंपत्तियों के खिलाफ ऐसे किसी भी बकाया को समायोजित और समायोजित कर सकता है ( समय-समय पर बैंक के कब्जे में चल और अचल दोनों, जिनमें सावधि जमा और/या बैंक के अन्य खातों में पड़ी राशि, संपत्ति, संपत्ति (चल और अचल दोनों), प्रतिभूतियां, स्टॉक, शेयर शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। प्राथमिक कार्ड सदस्य और ऐड-ऑन कार्ड सदस्य(सदस्यों) के पैसे और अन्य चीजें जो बैंक के कब्जे में हैं या हो सकती हैं या समय-समय पर बैंक के कब्जे में आ सकती हैं, भले ही वे या कोई भी हो या उन्हें बैंक द्वारा या अन्यथा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा रहा है।

छूट/स्वीकृति

इस समझौते, या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज़ के तहत किसी भी डिफॉल्ट पर बैंक को मिलने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में कोई देरी या चूक नहीं होने से ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, शक्ति या उपाय को नुकसान नहीं होगा और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। ऐसे डिफॉल्ट में छूट/स्थगन या कोई स्वीकृति; न ही, किसी डिफॉल्ट के संबंध में बैंक की कार्रवाई या निष्क्रियता या किसी डिफॉल्ट में उसके द्वारा दी गई कोई सहमति, किसी भी बाद के या समान डिफॉल्ट के संबंध में बैंक के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या खराब नहीं करेगी।

मध्यस्थता खंड

इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या प्रश्न या किसी भी तरह से इनमें से कुछ को छूने या संबंधित या निर्माण, अर्थ या प्रभाव के बारे में या पार्टियों के अधिकार, दायित्वों और देनदारियों के बारे में यहां संदर्भित किया जाएगा। और मध्यस्थता द्वारा निपटारा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है, ऋणदाता/बैंक द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ, और मृत्यु, अनिच्छा, इनकार की स्थिति में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की उपेक्षा, अक्षमता या अक्षमता के कारण, ऋणदाता/बैंक एकमात्र मध्यस्थ के रूप में एक नया मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। मध्यस्थता की कार्यवाही या तो अलुवा या मुंबई में होगी।

क्षेत्राधिकार और शासी कानून

इस कार्ड सदस्य अनुबंध से उत्पन्न होने वाले और/या संबंधित सभी विवाद नीचे उल्लिखित सक्षम न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे:

| No | बताएं कि ग्राहक कहां रहता है/संचार पता   | मध्यस्थता का स्थान |
|----|--|--------------------|
| 1  | ग्राहक का पता केरल राज्य में है  | एर्नाकुलम          |
| 2  | ग्राहक का पता तमिलनाडु राज्य में है  | चेन्नई             |
| 3  | ग्राहक का पता कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में है।  | बेंगलूर            |
| 5  | ग्राहक का पता महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली राज्यों में है।  | मुंबई              |
| 6  | ग्राहक का पता पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में है।           | कोलकाता            |
| 7  | ग्राहक का पता पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में है। | नई दिल्ली          |

- यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा।
- संदर्भ
- किसी भी लिंग के संदर्भ में सभी लिंग शामिल होंगे और एकल संख्या के संदर्भ में बहुवचन संख्या का संदर्भ शामिल होगा और इसके संदर्भ में इसके विपरीत भी होगा।
- स्वीकार
- 1. आपने संपूर्ण कार्ड सदस्य अनुबंध के सभी खंडों को पढ़ और समझ लिया है और यहां बताई गई सभी शर्तों से बंधे होने के लिए सहमत हैं।
- 2. आप स्वीकार करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बारे में नियम और शर्तें और अन्य दस्तावेज़ आपके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में समझाए गए हैं और आप विभिन्न खंडों का पूरा अर्थ समझ गए हैं।
- 3. कार्ड का उपयोग कार्ड सदस्य अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों की स्वीकृति को दर्शाता है।
- संस्करण (2) 17.11.2022

© 2023 फेडरल बैंक लिमिटेड

अंतिम अद्यतनीकरण दिनांक: 20 सितम्बर 2023

अस्वीकरण: हम उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। इस साइट को ब्राउज़ करना जारी रखने पर, यह माना जाएगा कि आपने कुकीज़ के उपयोग के लिए हमें अपनी सहमति दे दी है और हमारी कुकी नीति की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। हमारी कुकी नीति देखने के लिए, यहां क्लिक करें।